ऑन लाईन नं. RCMS 2025/182

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0
निगरानी प्रकरण सं0 45/2025

1. महावीर पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. करण पुत्र आदराम जाति जाट निवासी पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान, तहसील सादुलशहर जरिये सरपंच/प्रशासक।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 03.10.2025 ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान जिसके आधार पर आवासीय भूखण्ड का बुक संख्या 11 पर पट्टा संख्या 36 जारी किया गया को निरस्त करने हेतु ।

उपस्थित :
1. श्री विरेन्द्र सिहांग अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री बलराम स्वामी अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1

:: आदेश :: दिनांक: 10.02.2026

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि :-

1. यह कि ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान, तहसील सादुलशहर द्वारा आवासीय भूमि का पट्टा बुक संख्या–11, पट्टा संख्या 36 दिनांक 03.10.2025 को करण पुत्र आदराम के नाम से राजस्थान पंचायती राज नियमों के विपरीत जाकर जारी किया गया है जो विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रमाणित प्रति आवासीय भूखण्ड पट्टा संख्या 36 दिनांक 03.10.2025 सलंग्न है।
2. यह कि निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान का स्थाई निवासी है। निगरानीकर्ता के द्वारा ग्राम पंचायत में रिहायश हेतु ग्राम पंचायत के भूखण्ड संख्या – 47 साईज 50X80 कुल 4000 वर्गफुट का भाग साईज 35X80 कुल 2800 वर्गफुट पूर्व दिशा की तरफ खुलता हुआ राजेश कुमार पुत्र रमेश कुमार से पूर्ण प्रतिफल अदा कर दिनांक 28.05.2018 को खरीद किया हुआ है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

राजेश कुमार पुत्र रमेश कुमार द्वारा पूर्व में उक्त भूखण्ड ओमप्रकाश पुत्र हनुमान राम से दिनांक 25.05.2018 को खरीद किया हुआ है व ओमप्रकाश पुत्र हनुमान राम द्वारा उक्त भूखण्ड रामलाल पुत्र अमराराम से दिनांक 09.05.2013 को खरीद किया हुआ था। फोटोप्रति इकरारनामा बैय फाईनल शामिल निगरानी है।

3. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा खरीद किये गये आवासीय भूखण्ड संख्या–47 साईज 35X 80 कुल 2800 वर्गफुट पूर्व दिशा की तरफ खुलता हुआ के दक्षिण दिशा की तरफ चिपता हुआ ग्राम पंचायत का खाली आवासीय भूखण्ड –48 (साईज 28 फीट चौड़ा पूर्व दिशा की तरफ व 20 फीट चौड़ा पश्चिम दिशा की तरफ, लम्बाई 80 फीट पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ) है जिस पर कभी भी कोई काबिज नहीं रहा।

4. यह कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 के द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 ग्राम पंचायत के साथ मिलीभगत करते हुये निगरानीकर्ता को नुकसान पहुचाने के लिये व पंचायत के भूखण्ड को हड़प करने के लिये निगरानीकर्ता के खरीदशुदा भूखण्ड संख्या–47 साईज 35X80 के दक्षिण दिशा का भाग साईज साईज 5X80 कुल 400 वर्गफुट भूखण्ड संख्या–48 से चिपता हुआ को ग्राम पंचायत के खाली आवासीय भूखण्ड संख्या–48 (साईज 28 फीट चौड़ा पूर्व दिशा की तरफ व 20 फीट चौड़ा पश्चिम दिशा की तरफ, लम्बाई 80 फीट पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ) में समायोजित करते हुये निगरानीकर्ता संख्या–1 के नाम विधि विरूद्व पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत को निगरानीकर्ता द्वारा खरीद किये गये भूखण्ड के किसी भी भू–भाग का अन्य किसी व्यक्ति के नाम पट्टा जारी किये जाने का कोई अधिकार नहीं था फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 के साथ मिलीभगत करते हुये गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 के नाम पट्टा जारी किया गया जो विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

5. यह कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 के द्वारा ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वयं को पंचायत के खाली आवासीय भूखण्ड संख्या–48 पर काबिज बताते हुये पट्टा जारी किये जाने का निवेदन किया गया जिस पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 ग्राम पंचायत के द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 का कब्जा मानते हुये पट्टा जारी किया गया। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार नियमों के लागु होने से 50 वर्ष पूर्व से निर्मित मकान व कब्जे के आधार पर ही आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

किया जा सकता है, परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा नियमों की अवहेलना कर विधि विरुद्ध जाकर गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 को लाभ पहुंचाने के लिये मिलीभगत कर आवासीय भूखण्ड संख्या–48 का पट्टा निगरानीकर्ता के भूखण्ड संख्या–47 के दक्षिणी भाग साईज साईज 5X80 कुल 400 को समायोजित करते हुये गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 के नाम पट्टा जारी किया गया जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

6. यह कि ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय भूखण्ड संख्या–48 का पट्टा विधि विरुद्ध बनाया गया है। ग्राम पंचायत को ग्राम के खाली आवासीय भूखण्ड का किसी व्यक्ति विशेष को आवंटित कर उसका पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 को ग्राम पंचायत के आवासीय भूखण्ड–48 पर नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में व किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिये दिनांक 24.01.2019 व 22.09.2020 को नोटिस भी जारी किया गया था। गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 ग्राम पंचायत को पूर्णतः ज्ञान था कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 नाजायज रूप से गांव के खाली आवासीय भूखण्ड पर अतिक्रमण का प्रयास कर रहा है फिर भी निगरानीकर्ता को नुकसान पहुंचाने के लिये गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 द्वारा किये जा रहे अवैध कब्जा को हटाने के लिये ग्राम पंचायत द्वारा केवलमात्र नोटिस की औपचारिकता की गई, कभी भी अवैध अतिक्रमण हटवाने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निगरानीकर्ता के आवासीय भूखण्ड के भाग का पट्टा जारी करने से पूर्व निगरानीकर्ता को किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया व ना ही ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की गई। प्रति नोटिस दिनांक 24.01.2019 व 22.09.2020 सलंग्न है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर द्वारा आवासीय भूखण्ड का दिनांक 03.10.2025 को जारी बुक संख्या–11 का पट्टा संख्या–36 निरस्त किया जावें। अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत हो और निगरानीकर्ता के हित में हो प्रदान की जावें।

निगरानी प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकॉर्ड तलब किया गया।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी पट्टा संख्या–1 36 दिनांक 03.10.2025

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

के विरूद्व पेश की है। ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान द्वारा मुझ गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 को उक्त पट्टा संकल्प संख्या–1 दिनांक 20.06.2025 की अनुपालना में विधिवत् पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर जारी किया गया है। निगरानीकर्ता का यह कहना कि उसके खरीदशुदा भूखण्ड संख्या–47 साईज 35X80 के दक्षिण दिशा का भाग साईज साईज 5X80 कुल 400 वर्गफुट भूखण्ड संख्या–48 से चिपता हुआ को ग्राम पंचायत के खाली आवासीय भूखण्ड संख्या–48 (साईज 28 फीट चौड़ा पूर्व दिशा की तरफ व 20 फीट चौड़ा पश्चिम दिशा की तरफ, लम्बाई 80 फीट पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ) में समायोजित करते हुये निगरानीकर्ता संख्या–1 के नाम विधि विरूद्व पट्टा जारी किया गया सही नहीं है क्योंकि मुझे जो ग्राम पंचायत द्वारा कब्जे के आधार पर पट्टा जारी किया गया है वह उत्तर दिशा में 76 फिट, दक्षिण दिशा में 76 फिट, पूर्व दिशा में 33 फिट व पश्चिम दिशा में 25 फुट जारी किया गया है जबकि निगरानीकर्ता में अपने भूखण्ड की लम्बाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 80 फीट होनी बताई गई है, जो कि उसके कब्जा की भूमि से किसी भी प्रकार से मेल नहीं रखती है। मुझ प्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् प्रक्रिया अपनाई जाकर गवाहों के बयान लिये जाकर, मौका नक्शा एवं वार्ड पंच की रिपोर्ट ली जाकर, कब्जा शुदा भूखण्ड की फोटो लगाई जाकर एवं पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर विधिवत् रूप से जारी किया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त निगरानी पार्टी बाजी, राजनैतिक रंजिश के कारण मुझे परेशान करने के लिए पेश की गई है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता के द्वारा ग्राम पंचायत में रिहायश हेतु ग्राम पंचायत के भूखण्ड संख्या – 47 साईज 50X80 कुल 4000 वर्गफुट का भाग साईज 35X80 कुल 2800 वर्गफुट पूर्व दिशा की तरफ खुलता हुआ खरीद किया हुआ है। निगरानीकर्ता द्वारा खरीद किये गये आवासीय भूखण्ड संख्या–47 साईज 35X 80 कुल 2800 वर्गफुट पूर्व दिशा की तरफ खुलता हुआ के दक्षिण दिशा की तरफ चिपता हुआ ग्राम पंचायत का खाली आवासीय भूखण्ड –48 (साईज 28 फीट चौड़ा पूर्व दिशा की तरफ व 20 फीट चौड़ा पश्चिम दिशा की तरफ, लम्बाई 80 फीट पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ) है जिस पर कभी भी कोई काबिज नहीं रहा। गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 के द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 ग्राम पंचायत के साथ मिलीभगत करते हुये निगरानीकर्ता को नुकसान पहुचाने के लिये व पंचायत के भूखण्ड को हड़प

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

करने के लिये निगरानीकर्ता के खरीदशुदा भूखण्ड संख्या–47 साईज 35X80 के दक्षिण दिशा का भाग साईज साईज 5X80 कुल 400 वर्गफुट भूखण्ड संख्या–48 से चिपता हुआ को ग्राम पंचायत के खाली आवासीय भूखण्ड संख्या–48 (साईज 28 फीट चौड़ा पूर्व दिशा की तरफ व 20 फीट चौड़ा पश्चिम दिशा की तरफ, लम्बाई 80 फीट पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ) में समायोजित करते हुये निगरानीकर्ता संख्या–1 के नाम विधि विरूद्ध पट्टा जारी किया गया। ग्राम पंचायत को निगरानीकर्ता द्वारा खरीद किये गये भूखण्ड के किसी भी भू–भाग का अन्य किसी व्यक्ति के नाम पट्टा जारी किये जाने का कोई अधिकार नहीं था फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 के साथ मिलीभगत करते हुये गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 के नाम पट्टा जारी किया गया है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 ग्राम पंचायत के द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 का कब्जा मानते हुये पट्टा जारी किया गया। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार नियमों के लागु होने से 50 वर्ष पूर्व से निर्मित मकान व कब्जे के आधार पर ही आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी किया जा सकता है, परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा नियमों को अनदेखा कर विधि विरूद्व जाकर गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 को लाभ पहुंचाने के लिये मिलिभगत कर आवासीय भूखण्ड संख्या–48 का पट्टा निगरानीकर्ता के भूखण्ड संख्या–47 के दक्षिणी भाग साईज साईज 5X80 कुल 400 को समायोजित करते हुये गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 के नाम पट्टा जारी किया गया जो विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 को ग्राम पंचायत के आवासीय भूखण्ड–48 पर नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में व किये गये अतिक्रमण को हटाने के लिये दिनांक 24.01.2019 व 22.09.2020 को नोटिस भी जारी किया गया था। गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 ग्राम पंचायत को पूर्णतः ज्ञान था कि गैरनिगरानीकर्ता संख्या–1 नाजायज रूप से गांव के खाली आवासीय भूखण्ड पर अतिक्रमण का प्रयास कर रहा है। निगरानीकर्ता के आवासीय भूखण्ड के भाग का पट्टा जारी करने से पूर्व निगरानीकर्ता को किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया व ना ही ग्राम पंचायत द्वारा सार्वजनिक सूचना जारी की गई। अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान तहसील सादुलशहर द्वारा आवासीय भूखण्ड का दिनांक 03.10.2025 को जारी बुक संख्या–11 का पट्टा संख्या–36 निरस्त किया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि निगरानीकर्ता के द्वारा ग्राम पंचायत में रिहायश हेतु ग्राम पंचायत के भूखण्ड संख्या --47 साईज 50X80 कुल 4000 वर्गफुट का भाग साईज 35X80 कुल 2800 वर्गफुट पूर्व दिशा की तरफ खुलता हुआ जरियो ईकरारनामा खरीद किया हुआ है। खरीदशुदा भूखण्ड संख्या--47 साईज 35X80 के दक्षिण दिशा का भाग साईज साईज 5X80 कुल 400 वर्गफुट जो भूखण्ड संख्या–48 से चिपता हुआ को ग्राम पंचायत के खाली आवासीय भूखण्ड संख्या–48 (साईज 28 फीट चौड़ा पूर्व दिशा की तरफ व 20 फीट चौड़ा पश्चिम दिशा की तरफ, लम्बाई 80 फीट पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ) में समायोजित करते हुये निगरानीकर्ता संख्या–1 के नाम पट्टा जारी किया गया जो विधि विरूद्व है क्योंकि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अनुसार नियमों के लागु होने से 50 वर्ष पूर्व से निर्मित मकान व कब्जे के आधार पर ही आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी किया जा सकता है। रिकॉर्ड में उपलब्ध फोटो को देखने से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है कि उक्त भूखण्ड की चारदिवारी का वर्तमान में ही निर्माण किया गया है, ना ही गैरनिगरानीकर्ता द्वारा अपने पुराने कब्जे बाबत कोई ऐसा दस्तावेज जैसे की पानी, बिजली का बिल जो यह प्रमाणित करें की कब्जा कितने समय है पेश नहीं किया है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या –2 ग्राम पंचायत पन्नीवाली जाटान द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) की पालना उक्त विवादित पट्टा जारी करते समय नहीं की गई है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर निगरानीधीन पट्टा संख्या 36 दिनांक 03.10.2025 निरस्त जाता है। आदेश की प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजी जावे एवं रिकार्ड लौटाया जावें।

आदेश आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner